# न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|
| 13/2018 | 04.01.2018 | 04.03.2022 |

**अनवान**

भरतदास पिता दौलतदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

.....वादी

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

**वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188राज.काश्त. अधिनियम**

उपस्थित–श्री फारूख मोहम्मदवकील वादी -

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफियातहसील भदेसर में स्थित साबिक खाता संख्या 85 संवत् 2059 से 2062 में अंकित साबिक आराजी नम्बर 20/4 रकबा 3 बीघा एवं आराजी नम्बर 313/1मीन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड होकर वादी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

यह कि भू प्रबंध कर्मचारियो द्वारा भू प्रबंधन की कार्यवाही के दौरान साबिक से नवीन आराजी नम्बर एंव रकबे का बीघा बिस्वा से हेक्टेयर में परिवर्तन किया जिसके अनुसार वादी वादी की आराजीयात के नवीन नम्बर एवं रकबा निम्नानुसार परिवर्तित किया गया जो संवत् 2072 से 2075 की खाता संख्या 131 पर दर्ज आराजी नम्बर 18 रकबा 0.53 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 19 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 635 रकबा 0.49 हैक्टेयर किता 03 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर दर्ज किया गया।

यह कि साबिक आराजी नम्बर 20/4 रकबा 3 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 18 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं 19 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर कायम किया गया जबकि नवीन नाप से 3 बीघा कृषि भूमि का रकबा 0.64 हैक्टेयर होना चाहिए, इस प्रकार भू प्रबंध कर्मचारियो द्वारा वादी की आराजीयात में से रकबा 0.09 हैक्टेयर रकबा कम करते हुए उपरोक्त रकबा नवीन आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 0.13 हैक्टेयर अंकित कर दिया जो मिलान क्षैत्रफल एवं साबिक व नवीन नक्शे के मिलान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वादी की आराजीयात का उक्त रकबा बिलानाम आराजी नम्बर 20 मीन में अंकित कर दिया जिससे वादी अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है।

यह कि वादी का 0.09 हैक्टेयर भूमि को आराजी नम्बर 20 मीन में निरंतर कब्जा काश्त होने से तथा साबिक सेटलमेंट में उपरोक्त आराजीयात वादी की खातेदारी में दर्ज होने से व राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से उक्त रकबा बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया तथा आराजी नम्बर 20 मीन का रकबा उसके पडौस में अंकित आराजी नम्बर 21 में मिला दिया जो कि राजस्व कर्मचारियो की स्पष्ट त्रुटि है जिसे दुरूस्त कराते हुए वादी आराजी नम्बर 20 मीन में से 0.09 हैक्टैयर

उपखण्ड अधिकारी
पदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

खातेदारी की घोषणा करवा आराजीयात अपने नाम पर दर्ज करवाने अधिकारी होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का ा है।

यह कि वादी का आराजी नम्बर 18, 19 के साथ ही वर्तमान राजी नम्बर 20 मीन में से 0.09 हैक्टैयर पर निरंतर कब्जा हो षि कार्य करता चला आ रहा है लेकिन आराजी नम्बर बिलानाम रकार दर्ज होने से भूमिधारी एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा दी को रकबा छोडने तथा बेदखली की धमकी देते रहते है जबकि परोक्त रकबे पर वादी का सेटलमेंट पूर्व से रकबा कब्जा काश्त चला ा रहा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादी को आराजी नम्बर 20 मीन से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें ना हि उक्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ही करें ना हि किसी अन्य से करावे।

यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दि. का नोटिस देना आवश्यक होता है परंतु प्रतिवादीगण के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा वादी को जबरन मौके से बेदखल करने की धमकिया देने तथा कब्जा नहीं हटाने पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्यवाही कर दण्डित कराने की धमकी देने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति को होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दि. का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 01.11.2017 को पटवारी द्वारा मौके पर आकर विवादित आराजीयात से वादी को कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

टाने तथा नहीं हटाने की सुरत में बेदखली व अतिक्रमण की कार्यवाही ा दण्डित कराने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय ी डिक्री पारित फरमाई जावे कि–

क–वादी को मौजा गिदाखेडा की आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 0.3 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया ावे तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाई जाने ी आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे।

ख– प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ादी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में से ादी को बेदखल नहीं करे एवं अन्य को आवंटित नही करावे ना हि ैसी कृत्य अपने अधिनस्थ कर्मचारी से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार भदेसरको मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व /2022/266 दिनांक04.03.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई,रिपोर्ट अनुसार ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफिया के वाद वर्णित आराजीयात का साबिक रेकार्ड एवं नवीन रेकार्ड से मिलान कर जाँच की गई। साबिक आराजी नम्बर 20/4 रकबा 3 बीघा के हाल सेटलमेंट के नवीन आ0नं0 18 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं आ0नं0 19 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर बने है, जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.10 हैक्टेयर कम है। साबिक आराजी नम्बर 20 मीन से नये नम्बर 20 मीन रकबा 0.13 हैक्टेयर बने जो बिलानाम दर्ज हैं एवं वर्तमान में वादी के कब्जे काश्त में है। साबिक आ0नं0 313/1 मीन रकबा 2 बीघा 5

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

स्वा के नवीन आराजी नम्बर 635 रकबा 0.49 हैक्टेयर बने है
नु साबिक नक्शा अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम गलत अंकित है,
ो प्रस्तुत साबिक नक्शे अनुसार शुद्ध किया जाना है।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में स्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि क्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादी भूप्रबंध से पहले से ही काबिज ोकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण के ातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को बिना किसी सक्षम आदेश के बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में र्ज किया जावे एवं साबिक से नवीन नक्शे में गलत तरमीम करदी गई है उसे साबिक रेकार्ड अनुसार शुद्ध किया जाकर उसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादी के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीस्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीश्नर रिपोर्ट के आलोक में वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफिया के साबिक आराजी नम्बर 20/4 रकबा 3 बीघा के हाल सेटलमेंट के नवीन आ0नं0 18 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं आ0नं0 19 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर बने है, जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.10 हैक्टेयर कम है, लेकिन वादी साबिक रेकार्ड अनुसार आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतःभू प्रबंध के दौरान वादीगण के राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

ये रकबे की क्षतिपूर्ति ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफिया की नवीन बिलानाम आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर से की जाकर वादी को बिलानाम आराजी नम्बर 20 मीनरकबा 0.13 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं साबिक आराजी नम्बर 313/1 मीन के नक्शे की तरमीम जो गलत कर दी गई है को पुनः साबिक रेकार्ड अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़